

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

21 दिसंबर, 2022

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन प्रत्यक्ष करों पर 2022 संसद में
प्रस्तुत

संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों पर मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2022 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 29) को आज संसद में प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में ` 8,413.10 करोड़ के कर प्रभाव के 467 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल किए गए हैं।

प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गयी महत्वपूर्ण आपत्तियाँ निम्नवत हैं:

- गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2019-20 में 6.39 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2020-21 में 6.63 करोड़ हो गई जबकि निगमित निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2019-20 में 8.38 लाख से बढ़कर वि.व. 2020-21 में 9.21 लाख हो गई (पैराग्राफ 1.4.10 और 1.4.11)। इसके बावजूद, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष करों में वि.व. 2019-20 की तुलना में 9.9 प्रतिशत (` 1.04 लाख करोड़) की कमी हुई। तथापि, सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का भाग वि.व. 2019-20 में 52.3 प्रतिशत से केवल घटकर वि.व. 2020-21 में 46.7 प्रतिशत हो गया (पैराग्राफ 1.4.1)।
- निगम कर से संग्रहण वि.व. 2019-20 में ₹ 5.57 लाख करोड़ से 17.8 प्रतिशत घटकर वि.व. 2020-21 में ` 4.58 लाख करोड़ हो गया और आयकर वि.व. 2019-20 में ` 4.80 लाख करोड़ से 2.0 प्रतिशत घटकर वि.व. 2020-21 में ` 4.71 लाख करोड़ हो गया (पैराग्राफ 1.4.3 और 1.4.4)।
- बकाया मांग वि.व. 2019-20 में ` 16.2 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 2020-21 में ` 15.1 लाख करोड़ हो गई। यद्यपि वि.व. 2020-21 में मांग का कुल बकाया वि.व. 2019-20 की तुलना में 6.63 प्रतिशत कम हो गई, 'वसूली हेतु दुष्कर' के रूप में वर्गीकृत मांग वि.व. 2019-20 में 97.61 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2020-21 में मामूली रूप से बढ़कर मांग के कुल बकाया का 98.26 प्रतिशत हो गई। (पैराग्राफ 1.9.1 और 1.9.2)।

- आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई आपत्तियों के आधार पर वि.व.2020-21 के दौरान ` 72.69 करोड़ की वसूली की थी (पैराग्राफ 2.6)।
- इस प्रतिवेदन में ` 7,788.98 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 319 उच्च मूल्य के मामले इंगित किए गए हैं (पैराग्राफ 3.1.1)। ये मामले मुख्यतः आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों, ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों, मूल्यहास/व्यवसायिक हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताओं, व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति, बेहिसाबी निवेश/नकद क्रेडिट आदि से संबंधित था। मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 5,845.39 करोड़ के कर प्रभाव वाले 165 मामलों को स्वीकार किया और ₹ 114.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों को स्वीकार नहीं किया। तथापि, 319 मामलों में से आयकर विभाग ने ₹ 6,506.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले 183 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 345.34 करोड़ के कर प्रभाव वाले 27 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। शेष 109 मामलों में, आयकर विभाग ने जुलाई 2022 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।
- उद्धृत 319 उच्च मूल्य के मामलों में से, हमने ₹ 6,304.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर निर्धारणों में महत्वपूर्ण त्रुटियों / अनियमितताओं के 57 दृष्टांतों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में शामिल हैं: ब्याज सहित ₹ 4,430.13 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 7,995.06 करोड़ के सही आंकड़ों के बजाय कर गणना रूप में ₹ 110.40 करोड़ के रूप में कर योग्य आय के आंकड़े को गलत तरीके से अपनाना; ₹ 79.58 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयरों के शोधन और अधिग्रहण के आधार पर ₹ 1,285.03 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि के अग्रेषण की गलत अनुमति; धारा 32एसी के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति जिसमें ₹ 180.22 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है; एमएटी क्रेडिट की गलत अनुमति जबकि आईटीबीए प्रणाली ने एमएटी क्रेडिट को 'शून्य' के रूप में प्रदर्शित किया, जिसमें ब्याज सहित ₹ 34.90 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था; एक अनिश्चित देयता होने के नाते, संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों और निगमित ऋण पुनर्गठन प्रतिपूर्ति के प्रावधानों के लिए व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति, जिसमें ₹ 118.57 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है; बेची गई भूमि या भवन के वास्तविक मूल्य और जिस मूल्य के लिए स्टॉप ड्यूटी का भुगतान किया गया था, के बीच के अंतर का संज्ञान नहीं लेना जिसमें ₹ 34.69 करोड़ का कर प्रभाव शामिल

था; और ₹ 22.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले पूरे पूर्वोक्त असुरक्षित ऋण के बजाय असुरक्षित ऋण की पुष्टि प्रस्तुत करने में विफलता के कारण असुरक्षित ऋण का केवल 15 प्रतिशत वापस जोड़ना।

- इस प्रतिवेदन में ₹ 624.12 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर से संबंधित 148 उच्च मूल्य के मामले इंगित किए गए हैं (पैराग्राफ 4.1.1)। ये मामले मुख्यतः आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों, ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों, मूल्यहास/व्यवसायिक हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताओं, व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति, बेहिसाबी निवेश/नकद क्रेडिट आदि से संबंधित थे। मंत्रालय/आईटीडी ने ₹ 595.51 करोड़ के कर प्रभाव वाले 140 मामलों को स्वीकार किया, और ₹ 1.53 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े दो मामलों को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, 148 मामलों में से, आईटीडी ने ₹ 575.37 करोड़ के कर प्रभाव वाले 124 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 14.74 करोड़ के कर प्रभाव वाले 13 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है। शेष 11 मामलों में, आईटीडी ने जुलाई 2022 तक कोई कार्रवाई नहीं की/शुरू नहीं की थी।
- उद्धृत 148 उच्च मूल्य के मामलों में से, ₹ 505.68 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/ अनियमितताओं के 47 दृष्टांत शामिल हैं। इस अध्याय में वर्णित अनियमितताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: ₹ 122.05 करोड़ की सही आय के बजाय ₹ 79.29 करोड़ पर निर्धारित आय को गलत तरीके से अपनाने के कारण मांग की गलत गणना जिसमें ₹ 32.45 करोड़ के कर का परिणामी कम उद्ग्रहण शामिल है; और धारा 234ए के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने में विलंब के लिए 79 महीने के लिए ₹ 37.09 करोड़ की बजाय केवल एक महीने के लिए ₹ 0.47 करोड़ पर ₹ 36.62 करोड़ के कर प्रभाव सहित ब्याज का गलत उद्ग्रहण।

इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में निम्नलिखित तीन सिफारिशों को भी शामिल किया गया है:

(i) कर और अधिभार की गलत दरों को लागू करना, ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियाँ, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

(ii) यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में सुधार कार्य शुरू करने के लिए कार्रवाई की है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये केवल लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए कुछ निदर्शी मामले हैं। गैर-संवीक्षा निर्धारणों सहित सभी

निर्धारणों की पूरी संसृति में, चूक या कमीशन की ऐसी त्रुटियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारणों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक सुदृढ़ आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।

(iii) सीबीडीटी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या 'त्रुटियों' के मामले चूक या भूल की त्रुटियां हैं और यदि ये भूल की त्रुटियां हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार, जवाबदेही तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, जहां लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्ट गलतियों को इंगित किया गया है।

BSC/TT/ 107-22